न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी– डॉ रविन्द्र गोस्वामी,आई.ए.एस

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. श्री सुरेश पुत्र श्री मूलचन्द जाति पुरोहित निवासी किवरली, तहसील आबूरोड 2. श्री प्रवीण पुत्र मूलचन्द जाति पुरोहित, निवासी किवरली, तहसील आबूरोड 3. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री करतींग जाति पुरोहित निवासी किवरली, तहसील आबूरोड 4. श्री भरत पुत्र करतींग जाति पुरोहित निवासी किवरली, तहसील आबूरोड 5. श्रीमती विमला पत्नी श्री कालुराम पुत्री श्री करतींग जाति पुरोहित निवासी किवरली तहसील आबूरोड हाल–काछोली तहसील पिण्डवाडा 6. श्रीमती पार्वती पत्नी श्री माधुराम पुत्री श्री करतींग जाति पुरोहित निवासी किवरली तहसील आबूरोड हाल– नानरवाडा तहसील पिण्डवाडा 7. श्री मोहब्बतराम पुत्र जगतींग जाति पुरोहित निवासी किवरली तहसील आबूरोड		1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या 11/2019

दिनांकः–15–12–2020

निर्णय

यहकि प्रार्थीगण राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए काश्तकारी अधिनियम के तहत_ प्रस्तुत कथन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा ग्राम मुदरला पटवार हल्का आमथला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र किवरली तहसील आबूरोड में नया खसरा नम्बर 651 बीघा 03.10 कुल किता 01 रकबा 03.10 बीघा की भूमि आई हुई है उक्त कृषि भूमि पर आने जाने के लिये प्रार्थीगण के पास कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण की उपरोक्त खसरा संख्या 651 की कृषि भूमि से लगती खसरा संख्या 652 की बिलानाम भूमि अप्रार्थी के नाम स्थित है। अप्रार्थी खसरा संख्या 652 की कृषि भूमि के उत्तर दिशा में आवागमन हेतु रास्ता गुजरता है। प्रार्थीगण अपनी भूमि से उत्तर दिशा में स्थित रास्ते तक आवागमन हेतु अप्रार्थी की खसरा संख्या 652 की बिलानाम भूमि का उपयोग उपभोग कदीम से बिना किसी बाधा एवं ऐतराज के करते आ रहें है। खसरा संख्या 651 कृषि भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थीगण के पास अप्रार्थी की खसरा संख्या 652 की बिलानाम भूमि के अलावा अन्य कोई सुलभ वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण अप्रार्थी की खसरा संख्या 652 की बिलानाम भूमि का उपयोग उपभोग कदीम से करते आ रहें है। जिस कारण प्रार्थीगण को अपनी खसरा संख्या 651 की कृषि भूमि में उत्तर दिशा में आवागमन हेतु रास्ते पर आने जाने व उसका उपयोग उपभोग करने के पूर्ण अधिकारी है।

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण अप्रार्थी की खसरा संख्या 652 की बिलानाम भूमि में से रास्ता प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। प्रार्थीगण रास्ते के अभाव में पद संख्या 01 में वर्णित खसरा संख्या 651 की अपनी कृषि भूमि कृषि कार्य नहीं कर सकेगें तथा उसका उपयोग उपभोग करने से वंचित हो जायेगे तथा उन्हें अत्यधिक आर्थिक हानि होगी। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। यहकि प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 651 की कृषि भूमि तक आवागमन हेतु प्रार्थी की खसरा संख्या 652 की बिलानाम भूमि में से न्यूनतम 30 फुट का रास्ता उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह अपनी उक्त कृषि भूमि के समुचित उपभोग उपयोग से वंचित हो जायेगे। प्रार्थीगण के पास उक्त वर्णित मार्ग के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध न तो कभी था, न है। यह मार्ग प्रार्थीगण को दिया जाना सर्वथा विधि सम्मत होगा क्योंकि यह मार्ग प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि में आने जाने हेतु उन्हें उपलब्ध होने वाला लघुतम व निकटतम मार्ग होगा। प्रार्थीगण पूर्व में भी अपनी कृषि भूमि पर आवागमन हेतु इसी मार्ग का उपयोग उपभोग करते आ रहें है। साथ ही इसमें अप्रार्थी की भूमि का उत्तर दिशा वाला न्यूनतम भाग ही रास्ते में जायेगा। इस प्रकार अप्रार्थी की खसरा संख्या 652 की बिलानाम भूमि का अप्रार्थी को श्रीमान् के आदेशानुसार राशि अदा करने को पूर्णतया तैयार व तत्पर है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 652 की बिलानाम भूमि मे से न्युनतम 30 फुट रास्ता हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थि को नोटिस जारी किये। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण बिलानाम भूमि खसरा नंबर 652 में रास्ता का उपयोग कर रहा है जिसमे प्रार्थीगण के उपयोग मे वर्तमान में कोई व्यवधान नही है। प्रार्थीगण बिना किसी बाधा व ऐतराज के रास्ते के उपयोग कर रहे है। अतः रास्ते का अभाव का कथन अस्वीकार किया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में चाहे गए रास्ते का निर्बाध उपयोग स्वीकार किया है, साथ ही अप्रार्थी द्वारा भी यह कथन किया गया है कि प्रार्थीगण बिना बाधा व एतराज के रास्ते का उपयोग कर रहें है। चूँकि विभिन्न राजस्व नियमों में ऐसे कदीमी रास्तों हेतु विकल्प उपलब्ध है जिनमें राजकीय भूमियों से जाने वाले कदीमी रास्तों को किस्म परिवर्तन कर सरकार के खाते में ही गै.मु. रास्ता दर्ज किया जाता है। अतः अत्यधिक आवश्यकता तथा अन्य कोई विकल्प न होने की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए की शर्तो की पालना न सिद्ध कर पाने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए खारिज किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार कर दाखिल दफ़तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2020 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सुनाया गया।

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलेक्टर,आबूपर्वत

सहायक कलेक्टर
आबू-पर्वत

न्यायालय सहायक कलेक्टर आबूपर्वत (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Ravindra Goswami
Date: 2020.01.21 10:43:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: